प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 164/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

भादूविप्रा ने चरण-II के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों में सेवा एवं लेनदेन संबंधी वॉयस कॉल के लिए 1601-श्रृंखला के उपयोग का विस्तार किया

नई दिल्ली, 27 नवंबर, 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आज एक निर्देश जारी किया है, जिसके द्वारा दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा आवंटित 1601-श्रृंखला के उपयोग का विस्तार BFSI क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की पात्र संस्थाओं तक किया गया है। ये संस्थाएं इस श्रृंखला का उपयोग अपने ग्राहकों को केवल सेवा एवं लेनदेन संबंधी वॉयस कॉल करने के लिए कर सकेंगी।

2. 1601-श्रृंखला के कार्यान्वयन के दूसरे चरण के अंतर्गत, निम्नलिखित क्षेत्रों की संस्थाएं, निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अधीन, इस श्रृंखला के नंबरों के आवंटन के लिए पात्र होंगी:

क) रिटेल चेन, ई-कॉमर्स, अस्पताल, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं, दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP), ऑटोमोबाइल बिक्री, ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं सर्विसिंग, ट्रैवल एजेंसियां, वाणिज्यिक एयरलाइंस, फूड एग्रीगेटर, राइड-हेलिंग एग्रीगेटर तथा ऋण सेवा प्रदाता (LSP)। केवल वे संस्थाएं, जिनका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम-से-कम किसी एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक रहा हो ही आवंटन के लिए पात्र होंगी।

ख) वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (DPO), जैसे डायरेक्ट-टू-होम (DTH), हेडएंड-इन-द-स्काई (HITS), इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (IPTV) सेवा प्रदाता तथा मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO), जिनका पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी एक माह में ग्राहक आधार दस लाख या उससे अधिक रहा हो।

ग) 1601-श्रृंखला के नंबर केवल लागू कानून के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कंपनियों को ही आवंटित किए जाएंगे।

3. इससे पहले, कार्यान्वयन के प्रथम चरण के अंतर्गत, भादूविप्रा ने 10 अगस्त, 2026 के अपने निर्देश के माध्यम से यूटिलिटीस तथा लॉजिस्टिक्स एवं कूरियर सेवा क्षेत्रों को 1601-श्रृंखला के नंबरों का आवंटन करने की अनुमति दी थी।

उपभोक्ताओं के लिए एक विश्वसनीय नंबरिंग श्रृंखला

4. 1601-श्रृंखला, BFSI और सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा केवल सेवा एवं लेनदेन संबंधी वॉयस कॉल करने के लिए निर्धारित श्रृंखला है। इस श्रृंखला का उपयोग प्रचारात्मक वॉयस कॉल करने के लिए सख्त रूप से निषिद्ध है। एक विश्वसनीय माध्यम होने के नाते, इस श्रृंखला के नंबर केवल सत्यापित संस्थाओं को आवंटित किए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को वैध सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल की आसानी से पहचान करने में सहायता मिलती है। यह उपाय उन धोखेबाजों द्वारा की जाने वाली प्रतिरूपण की घटनाओं से निपटने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो सामान्य 10-अंकीय नंबरों का उपयोग करके स्वयं को वैध व्यवसायों का प्रतिनिधि बताते हैं।

समय-सीमा में ऑनबोर्डिंग एवं रिपोर्टिंग

5. एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे निर्देश जारी होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर सभी पात्र संस्थाओं की ऑनबोर्डिंग एवं माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। वे पात्र संस्थाओं के बीच इस श्रृंखला की उपलब्धता का प्रचार-प्रसार करेंगे, प्रत्येक पंद्रह दिन में भादूविप्रा को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा 180-दिवसीय कार्यान्वयन अवधि समाप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अंतिम अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कार्यान्वयन की समीक्षा के आधार पर, प्राधिकरण समय-समय पर अतिरिक्त क्षेत्रों अथवा पात्र संस्थाओं को अधिसूचित कर सकता है।

27/11/2026

(हरिन्द्र कुमार)
सचिव, भादूविप्रा